बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना हेतु स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति हेतु सूचना

सूचित किया जाता है कि राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों / संस्थानों से स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एकमुश्त ₹ 50,000/– (पचास हजार रुपये) दिया जाना है।

1. इस योजना का लाभ स्नातक उत्तीर्ण उन्हीं छात्राओं को देय होगा, जो निम्न शर्तों को पूरी करती हों :–

(क) बिहार के स्थायी निवासी हों।

(ख) राज्य के अंदर अवस्थित अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों / संस्थानों से दिनांक 31.03.2021 के बाद स्नातक अथवा स्नातक समकक्ष का डिग्री प्राप्त किया हो अर्थात् उनका परीक्षाफल 31.03.2021 के बाद प्रकाशित हुआ हो।

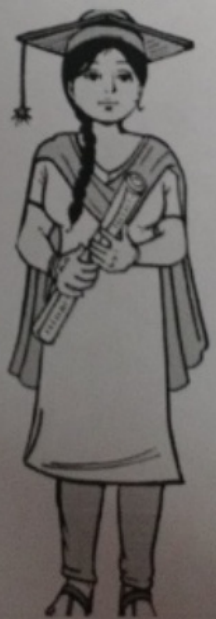


2. छात्राएँ ऑनलाईन पोर्टल : https://medhasoft.bih.nic.in/SnatakStudent2021 पर आवेदन करें।

3. ऑनलाईन आवेदन करते समय लाभार्थी ऑनलाईन निर्देशों का पालन करें। आवेदन स्वीकृत होने पर लाभुक के मोबाईल पर सूचना प्राप्त होगी।

4. पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का विश्वविद्यालय द्वारा Upload किये गये परीक्षाफल से जाँच के उपरान्त विभाग के स्तर से राशि लाभुक के बैंक खाते में अंतरित की जायेगी।

5. लाभुक का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता बिहार राज्य में अवस्थित किसी शाखा में होना चाहिये साथ ही लाभुकों को अपना आधार बैंक खाता से सीडेड कराना अनिवार्य होगा अन्यथा भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया आधार बेस्ड किया जाएगा।



6. योजना से संबंधित विस्तृत निर्देश विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/educationbihar पर देखा जा सकता है। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए मोबाइल नं0– 9534547098, 8986294256 एवं मेल आईडी – mkuysnatakhelp@gmail.com पर संपर्क करें।

निदेशक, उच्च शिक्षा

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

आम सूचना

मुख्यमंत्री बालिका इन्टरमीडिएट प्रोत्साहन योजना

के अन्तर्गत बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के विभिन्न परीक्षा बोर्डो से वर्ष 2024 में इन्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को ₹ **25,000/–** रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दिया जा रहा है, यह राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

- ☑ पात्र छात्राएं NIC द्वारा विकसित ekalyan पोर्टल https://medhasoft.bih.nic.in के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं।
- ☑ रजिस्ट्रेशन के समय दर्ज कराई गई सूचनाओं के सत्यापन के बाद छात्रा के रजिस्टर्ड मोबाइल नं0 तथा मेल आईडी पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध होगा।
- ☑ यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होने के बाद छात्रा पुनः पोर्टल पर लॉग इन करके फार्म को भर सकती हैं।
- ☑ ध्यान रहे कि बैंक खाता पात्र लाभुकों के अपने नाम से खुला होना चाहिए तथा यह खाता राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार में अवस्थित किसी शाखा में संचालित होना चाहिए साथ ही लाभुकों को अपना आधार बैंक खाता से सीडेड कराना अनिवार्य होगा अन्यथा भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया आधार बेस्ड किया जाएगा।
- ☑ प्रयास किया जाए कि सूचनाओं को अंकित किये जाने का कार्य निजी अथवा घरेलू मोबाईल/लैपटॉप/कम्प्यूटर आदि के माध्यम से किया जाय। अपने से संबंधित अभिलेख किसी से साक्षा न करे एवं आवेदन की प्रक्रिया अपने सामने पूर्ण करें। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- ☑ किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए मोबाइल न0 9534547098, 8986294256, 8709739659 एवं ईमेल आईडी – mkuyinter2022@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।



निदेशक (मा0 शि0), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।